(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान हाथ से बुने कालीनों सहित हस्तशिल्प से 1071.35 मिलियन यू.एस. डालर (3360.20 करोड़ रुपये) की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

(घ) हाथ से बुने कालीनों आदि सहित हस्तशिल्पों के निर्यात के लिए नए बाजार का पता लगाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों जैसे इम्पोर्ट फेयर पार्टनर्स फार प्रोग्रेस, बर्लिन (जर्मनी); इण्टरनेशनल हाऊसवेयर शो, टोक्यों; इण्टरनेशनल गिफ्ट फेयर, मेडरिड; एमईएसईसी केडोक्स लिपजिक, जर्मनी; इण्टरनेशनल कार्पेट मैन्युफैक्चर्स येयर्स, चिकागो; तथा डोमोटैक्स इण्टरनेशनल ट्रेड फेयर, हनोवर (जर्मनी) में भाग लेना;

(ii) नई दिल्ली में भारतीय हस्तशिल्प तथा गिफ्ट फेयर और कालीन व्यापार मेला आयोजित करना;

(iii) क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना;

(iv) विदेशों में बिक्री-सह-अध्ययन दल प्रायोजित करना।

हस्तशिल्प वस्तुओं और हथकरघा उत्पादों का निर्यात

3798. **श्री अनन्तराम जायसवाल:**
श्री सोमपाल:
श्री शंकर दयाल सिंह:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्प वस्तुओं और हथकरघा उत्पादों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया है;

(ख) इसमें हस्तशिल्प और हथकरथा की मुख्य-मुख्य वस्तुओं का मूल्य-वार और मात्रा-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस महत्वपूर्ण रोजगारोन्मुखी उद्योग को प्रोत्साहन देने और उसके द्वारा विनिर्मित माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा हाल ही में क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी): (क) तथा (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मात्रा एवं मूल्य के अनुसार निर्यातित हस्तशिल्प तथा हथकरघा उत्पादों की प्रमात्रा निम्न प्रकार है:-

(मूल्य करोड़ रुपयों में)

क्रमांक	मद	वर्ष					
		1991-92		1992-93		1993-94	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**हस्तशिल्प:**						
	(i) कालीन तथा अन्य फर्श बिछावन	—	847.61	—	1043.19	—	1390.00
	(ii) कलात्मक धातु पात्र	—	411.36	—	560.60	—	680.20
	(iii) काष्ठ पात्र	—	57.43	—	84.14	—	98.50
	(iv) हाथ से छपे वस्त्र तथा स्कार्फस	—	187.75	—	257.70	—	354.25
	(v) कशीदाकारी की हुई तथा क्रोशिए से बनी वस्तुएं	—	34.92	—	43.36	—	70.45
	(vi) कलात्मक शालें	—	2.36	—	2.96	—	32.95
	(vii) जरी तथा जरी की वस्तुएं	—	37.82	—	39.72	—	48.90
	(viii) नकली आभूषण	—	7.11	—	18.81	—	28.75
	(ix) विविधा शिल्प	—	233.07	—	468.49	—	656.20
II.	**हथकरघा:**					(मात्रा वर्ग मीटर में)	(मूल्य लाख रुपये में)
	(i) परिष्कृत	47.79	1714.20	50.93	2305.50	48.68	2486.11
	(ii) रीयल मद्रास हैण्डकरचीफ	102.68	3348.17	113.28	4546.39	94.63	4320.98

(iii)	सुंगी	201.09	4311.43	201.96	5207.89	202.74	5410.8
(iv)	अन्य	409.00	9534.68	490.34	15238.60	439.75	15941.5

(मात्रा कि.ग्रा. में)
(मूल्य लाख रुपये में)

III. परिधान:

(i)	रेडिमेड/वेडमीट	20.38	1876.88	24.12	3635.51	41.55	6097.3
(ii)	दरियां	300.10	24596.27	348.64	33656.28	476.01	45161.0
(iii)	चट्टाईयां/नैपकिन्स	103.66	13611.08	144.30	22128.31	135.35	26849.1
(iv)	तौलिए	55.59	5021.43	52.51	5903.15	39.06	4831.9
(v)	परदे	16.10	1724.92	16.37	2481.84	16.34	3265.2
(vi)	अन्य	24.20	2779.88	51.09	8226.74	82.62	15384.1

टिप्पणी: हस्तशिल्प के निर्यातों के मात्रा संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) हस्तशिल्प तथा हथकरघा क्षेत्र को प्रोत्साहित करने तथा इन मदों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

देश में हस्तशिल्प तथा हथकरघा के विकास के लिए सरकार की कई योजनाएं हैं जिनमें प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम; डिजाइन एवं तकनीकी विकास; विपणन विकास सहायता; प्रदर्शनी एवं प्रचार; शिल्प विकास केन्द्र तथा हथकरघा विकास केन्द्रों की स्थापना; सर्वेक्षण एवं अध्ययन; असहाय बुनकरों के लिए मार्जिन राशि; हथकरघा बुनकरों के लिए प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम; समन्वित हथकरघा ग्रामीण विकास; अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास; कार्यशेड एवं आवास; बुनकरों तथा शिल्पियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और पेंशन की योजनाएं भी शामिल हैं।

देश में हस्तशिल्प तथा हथकरघा उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना;
2. विदेशों में बिक्री-सह-अध्ययन दल प्रायोजित करना;
3. अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना;
4. कैटलॉग विज्ञापनों तथा इलैक्ट्रानिक मीडिया के जरिए हस्तशिल्प तथा हथकरघा का समुद्रपार प्रचार;
5. देश में वार्षिक भारतीय हस्तशिल्प एवं गिफ्ट फेयर और कालीन व्यापार मेले तथा हथकरघा एक्सपो आयोजित करना;
6. गुणता नियंत्रण।

Textile Mills in Eastern India

3799. SHRI E. BALANANDAN: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) what measures have been taken to implement the rehabilitation package with respect to the textile mills in Eastern India; and

(b) whether funds have been released to meet the requirement of working capital of these mills?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) and (b) Under the Sick Industrial Companies (Special Provision) Act, 1985, cases of sick industrial units including textiles are registered with the Board for Industrial & Financial Reconstruction (BIFR). Till 28.2.94, cases of 24 textile units in Eastern India were registered with BIFR. Out of those 24 cases, BIFR sanctioned rehabilitation packages in respect of 4 textile units in Eastern India till 28.2.94. Progress of implementation of rehabilitation schemes is monitored by cell of the BIFR.

Functioning of Mills Under National Jute Manufacturers Corporation

3800. SHRI E. BALANANDAN: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether the flow of funds in the National Jute Manufacturers Corporation has bee drastically reduced over the past one year.